UPAG010020892026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP01906**

जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 985/2026

संदीप कुमार उर्फ विराज पुत्र मातादीन निवासी–मकान नम्बर 209, गली नंबर–6 न्यू सुरक्षा बिहार, थाना सदर बाजार, जिला आगरा

.....अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 92/2026
धारा–123,64(2),308(2),78(2),351(3)
भारतीय न्याय संहिता एवं
67 आई0टी0 अधिनियम
थाना: जगदीशपुरा, जिला आगरा।

दिनांक 10.03.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **संदीप कुमार उर्फ विराज** की ओर से मु0अ0सं0 92/2026 अन्तर्गत धारा 123,64(2),308(2),78(2),351(3 भारतीय न्याय संहिता एवं 67 आई0टी0 अधिनियम थाना जगदीशपुरा, आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त की पत्नी श्रीमती शिल्पी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। वादिनी द्वारा कथित घटनाक्रम के संबंध में जनवरी 2026 में एक शिकायती प्रार्थनापत्र सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया था, जिसमें वर्णित तथ्य प्रकरण की प्राथमिकी के तथ्यों से भिन्न हैं। वादिनी द्वारा सुनियोजित ढंग से तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। वादिनी यह जानते हुए कि अभियुक्त शादीशुदा एवं एक बच्ची का पिता है, को अपने षडयंत्र

में फंसाकर आपस में बातचीत करते रहे एवं वादिनी अभियुक्त से एकतरफा प्यार करने लगी। अभियुक्त द्वारा एकतरफा प्रेम को ठुकराते हुए शादी करने से मना किया गया तो वादिनी द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी। तथाकथित पांच लाख रूपयों की मांग के संबंध में दिनांक एवं समय वर्णित नहीं किया गया है। वादिनी पढ़ी लिखी नौजवान युवती है। प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्त लोकसेवक नहीं है। विवेचना के दौरान वादिनी के कोई भी अश्लील फोटो एवं वीडियो आदि संकलित नहीं किये गये हैं। अभियुक्त दिनांक 17.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी/पीड़िता द्वारा थाना जगदीशपुरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह 22 वर्षीया स्नातक उत्तीर्ण छात्रा है एवं शूटिंग राइफल में राज्य स्तरीय पुरस्कृत खिलाड़ी है तथा एन0सी0सी0 की छात्रा है। दिनांक 04.07.2024 को एन0सी0सी0–2 वाहिनी की ट्रेनिंग हेतु ताज रोड, आगरा छावनी गयी थी, वहां उसे संदीप कुमार मिला तथा स्वयं को भारतीय सेना में उच्च पद पर कार्यरत बताते हुए कहा कि वह उसकी भारतीय सेना में नौकरी लगवा देगा, उससे मोबाइल नम्बर ले लिया। इसके बाद आये दिन संदीप कुमार उसे फोन कर नौकरी का आश्वासन देकर बुलाता तथा अपनी गाड़ी से इधर उधर घुमाता रहता एवं उसकी बिना मर्जी के वीडियो एवं फोटो बनाता था। दिनांक 30.09.2025 को संदीप कुमार ने उसे बताया कि गोपनीय सूचना है, सिवेलियन को नहीं बताई जाती कि भारतीय सेना में नौकरी निकली है। समस्त शैक्षणिक प्रपत्र आदि लेकर दिनांक 07.10.2025 को देहरादून उसके साथ चलना है। संदीप कुमार के कहे अनुसार वह उसके साथ देहरादून चली गयी, जहां पर वह उसे स्थानीय होटल में ले गया तथा उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलकर उसके अर्धबेहोशी हालत में उसके साथ बलात्कार किया। अपने मोबाइल से उसके बिना कपड़ो के फोटो एवं वीडियो बना लिये। उसे धमकाया कि वह भारतीय सेना में उच्च पद पर कार्यरत है, यदि किसी को बताया तो वह उसके फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। इससे वह डर गयी तथा इसके बाद संदीप कुमार आये दिन उसे बुलाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक शोषण करने लगा। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई एवं संदीप कुमार के बुलाने पर जाने से इंकार किया तो वह बौखला गया एवं विभिन्न नम्बरों से

उसे, उसके माता पिता को कॉल एवं वीडियो कॉल आदि देकर धमकी दे रहा है। संदीप कुमार उसके फोटो एवं वीडियो डिलीट करने की एवज में पांच लाख रूपयों की मांग कर रहा है एवं उसके वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम कर रहा है। संदीप कुमासर के कारण वह अपनी पढ़ाई छोड़ने एवं शूटिंग राइफल प्रतियोगिताओं में भाग न लेने को मजबूर हो गयी है।

वादिनी की तहरीर पर थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 62/2026 अन्तर्गत धारा 123,64(2),308(2),78(2),351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 67 आई0टी0 अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ दोस्ती कर, उसकी भारतीय सेना में नौकरी लगवाने का आश्वासन देते हुए उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया एवं उसके अश्लील फोटो तथा वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

वादिनी/पीड़िता द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सारतः यह कथन किया गया है कि दिनांक 07.10.2025 को उसे संदीप देहरादून ले गया तथा देहरादून में संदीप ने बस अड्डे से कुछ दूरी पर एक होटल में कमलरा लिया, संदीप ने खाना मांगाया, उसकी नजर बचाकर संदीप ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसे खाकर वह लगभग बेहोश हो गयी। इसी अर्धबेहोशी में संदीप ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। वापस आने के बाद संदीप ने कई बार उसकी फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।'' विवेचक द्वारा पूछे जाने पर पीड़िता द्वारा कहा गया कि उसके साथ अन्तिम बार दुष्कर्म लगभग दो या ढाई महीने पहले किया था। संदीप ने जो भी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किये हैं, वे अश्लील नहीं हैं, वे उसके साथ के सामान्य फोटो हैं।

अग्रेतर अपने कथन अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़िता द्वारा कहा गया कि '' संदीप कुमार से उसकी मुलाकात दिनांक 04.07.2024 को हुई थी, उसने बताया कि वह भारतीय सेना में आफीसर रैंक पर है, वह उसकी मदद करेगा। दिनांक 30.09.2025 को संदीन ने बताया कि सिविलियन्स की एक गुप्त भर्ती निकली है, जो केवल आर्मी को पता होती है। दिनांक 07.10.2025 को वह उसे घर से देहरादून ले गया, वहां एक होटल में अलग अलग कमरे लिये थे। उसने खाने में कुछ डाल दिया, उसके हाथ पैर चलना बंद हो गये थे, उसी हालत में उसने उसका रेप किया। जब वह थोड़ा होश में आई तो उसने कहा कि यदि उसने उसकी अश्लील फोटो वायरल कर दी तो उसका ही नुकसान होगा। आगरा आने के बाद भी कई बार संदीप फोटो वायरल करने के बहाने उसे बुलाता था तथा उसके साथ गलत काम करता था। जब उसने मना कर दिया तो संदीप घर आ गया एवं फोटो डिलीट करने के पांच लाख रूपये मांगने लगा।''

केस डायरी में उद्धरित पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार पीड़िता द्वारा चिकित्सक के समक्ष प्रकटीकरण किया गया कि ''उसे अपनी शरीर की अन्दरूनी जांच नहीं करानी है, इसकी सारी जिम्मेदारी उसकी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की ओर इंगित करते हुए तर्क दिया गया है कि वादिनी/पीड़िता द्वारा प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी को शिकायती प्रार्थनापत्र जनवरी 2026 में प्रेषित किया गया, जिसमें वादिनी/पीड़िता द्वारा तथाकथित बलात्कार के संबंध में कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त एवं पीड़िता के मध्य मित्रवत संबंध थे एवं दोनों के मध्य व्हाट्सअप चैटिंग होती रहती थी।

उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के मध्य यह निर्विवादित तथ्य है कि वादिनी/पीड़िता लगभग 22 वर्षीया वयस्क महिला है। वादिनी द्वारा अपने बयान में देहरादून स्थित होटल में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने एवं उसके बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया जाना कहा गया है, परन्तु पीड़िता द्वारा तत्समय सम्बन्धित थाने अथवा पुलिस उच्चाधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की गयी। इसके सापेक्ष वादिनी द्वारा अपने बयान में लगभग दो–ढाई माह पूर्व अन्तिम बार शारीरिक संबंध होना कहा गया है एवं प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराने से पूर्व वादिनी द्वारा सक्षम अधिकारी

को शिकायत की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथित बलात्कार के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों में वादिनी/पीड़िता के कथित अश्लील फोटो एवं वीडियो उपलब्ध नहीं है एवं वादिनी द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि संदीप ने जो भी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किये हैं, वे अश्लील नहीं हैं, वे उसके साथ के सामान्य फोटो हैं। अतएव इस स्तर पर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों की पृष्ठभूमि में इस तथ्य को बल मिलता है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से पक्षगण के मध्य सम्बन्ध पीड़िता की सहमति से ही कायम होते रहे हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 17.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने हेतु आधार उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होते हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **संदीप कुमार उर्फ विराज** का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ विराज द्वारा **मु0 50,000/–रू0 (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किये जाये कि :–

1– आवेदक/अभियुक्त किसी भी अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त वादिनी मुकदमा अथवा अन्य साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

3– आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश, आगरा
10.03.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.03.10 17:49:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court